अनवानः— सुगणी देवी बनाम रुगनाथराम
मुकदमा नम्बरः— 02 / 2025
निर्णय तारीखः— 12.09.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला—जालोर

पीठासीन अधिकारी :— प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या :— 02 / 2025
जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2025 / 15

प्रार्थीया	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. सुगणी देवी पत्नी गंगाराम जाति विश्नोई निवासी दाता, तहसील— सांचौर, जिला— जालोर।		1. रुगनाथराम पुत्र माला जाति विश्नोई निवासी दाता तहसील सांचौर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर। 3. पटवारी, पटवार हल्का नैनोल।

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु :— 22.01.2025

उपस्थिति :—

1. प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीपाल दवे, श्री धवलचंद विश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थी 1 व 3 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय।
3. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से राजपैरोकार तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः— 12.09.2025

1. अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने एक राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया कि वांके मौजा दाता पटवार हल्का नैनोल में प्रार्थीया का खेत खसरा संख्या 636 रकबा 3.80 हैक्टेयर में से 2.40 हैक्टेयर खरीदसुदा खातेदारी का कब्जा काश्तसुदा आया हुआ है। जिसके खसरा संख्या 636 रकबा 2.40 हैक्टेयर सृजित हुए है। उक्त आराजी ट्रेस नक्शे में तरमीम सुदा आई हुई है। मूल खसरा संख्या 636 रकबा 3.80 हैक्टेयर में से [illegible] हैक्टेयर अप्रार्थी रुगनाथ का खरीदसुदा खातेदारी का आया हुआ है। उक्त आराजी अप्रार्थी ने गैर मुमकीन रास्ते में किस्म परिवर्तन करवा कर राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 1370 / 636 रकबा 0.02 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता सृजित कर खातेदारी अप्रार्थी रूगनाथ के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दुरुस्ती कि गई है। जो ट्रेस नक्शे में तरमीम सुदा आया हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 11:57:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

उक्त रास्ता मौके पर रास्ते के रूप में आने–जाने के लिए उपयोग व उपभोग में आता रहा है। प्रार्थीया के उपरोक्त खातेदारी खेत के दक्षिणी सेढा–सेढ उक्त अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज गैर मुमकिन रास्ता खसरा संख्या 1370/636 रकबा 0.02 हैक्टेयर आया हुआ है। प्रार्थी के उक्त खेत में कटान रास्ते से खेत में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। उक्त एक मात्र रास्ता है जो मूल खसरा संख्या 636 से सृजित हुआ है। प्रार्थी को उक्त रास्ते से आवागमन करने का अधिकार है। उक्त रास्ता प्रार्थीया के खेत में आने–जाने का एक मात्र रास्ता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा दाता के खेत खसरा संख्या 1370/636 रकबा 0.02 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ते को सार्वजनिक कटान गैर मुमकिन रास्ता घेषित कर राजस्व रेकर्ड में सरकार के नाम इन्द्राज दुरस्त करने का आदेश प्रदान करावे।

2. प्रार्थीया का प्रार्थना–दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी संख्या 1 से 3 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. बहस एकपक्षीय अधिवक्ता की सुनी गई। प्रार्थीया अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र एव जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का उल्लेख करते हुए नवीन मार्ग राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात्, नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया।

1. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में निम्नलिखित विधिक प्रावधान हैः– 251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी [illegible] कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच [illegible]

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है [illegible] सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 11:57:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपभारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

4. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत किया जावेगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा निकटतम स्थान से स्वीकृत किया जावेगा। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया के खातेदार खेत खसरा नम्बर 636 रकबा 2.40 हैक्टेयर में पहुंचने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया द्वारा की गई मांग, नजरी नक्शा अनुसार उक्त आराजी खसरा संख्या 636 में पहुंचने हेतु प्रार्थीया द्वारा प्रस्तावित रास्ते को निकटतम व व्यावहारिक होने से रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थीया का वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार उक्त रास्ता निकटतम है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि सरहद मौजा दाता, पटवार हल्का नैनोल के खसरा नंबर 636 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1370/636 रकबा 0.02 हेक्टेयर में से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 11:37:17 IST
Reason: SelfAttested

:– आदेश –:

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया का अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवन होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार सरहद मौजा दाता, पटवार हल्का नैनोल के खसरा नंबर 1370/636 रकबा 0.02 हैक्टेयर हेतु तहसीलदार सांचौर को निर्देशित

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 70 एक व दो के अनुसार वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि की गणना कर निर्धारण प्रतिकार राशि प्रार्थीया से प्राप्त कर खसरा संख्या 1376/636 के खातेदार को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई भूमि का भुगतान करावे। प्रार्थीया द्वारा राशि जमा करवाने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे। अप्रार्थी खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखे जब तक की ऐसे खातेदार राशि प्राप्त न कर लें। इस राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार सांचौर को पालना तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

निर्णय आज दिनांक 12.09.2025 को सर—ए—इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 11:57:17 IST
Reason: SelfAttested